न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 21 / 2020 (जीसीएमएस न0 2020 / 00055)

1. बनवारी पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. दुलीचन्द पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. रामकोरी बेवा हुक्माराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. महावीर पुत्र अमाराराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
5. बीरबल पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
6. रतिराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
7. सावित्री बेवा रामसिंह जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
8. अनिल पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

प्रार्थीगण

बनाम

1. बोयतराम पुत्र गीदाराम उर्फ गिरधारी जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. धासीराम पुत्र गीदाराम उर्फ गिरधारी जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. किस्तुरी पत्नी गीदाराम उर्फ गिरधारी पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी लोसड़ा बड़ा तहसील व जिला चुरू
4. चान्दकोरी पुत्री गीदाराम उर्फ गिरधारी पत्नी लादु जाति जाट निवासी लोसड़ा छोटा तहसील व जिला चुरू
5. रामप्यारी बेवा त्रिलोकाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
6. बलवीर पुत्र त्रिलोकाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
7. भागोती पुत्री त्रिलोकाराम पत्नी सतवीरजाति जाट निवासी भालु का वास तहसील राजगढ़ जिला चुरू
8. सुमन पुत्री त्रिलोकाराम पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी देपालसर तहसील व जिला चुरू
9. गायत्री बेवा राजुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
10. सीताराम पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
11. मुकेश पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
12. धन्नाराम पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
13. सुरेन्द्र पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
14. दीपचन्द पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
15. विनोद पुत्री राजुराम पत्नी मदन जाति जाट निवासी देलसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
16. मोनिका पुत्री राजुराम पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी देलसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
17. कुम्भाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
18. विजेन्द्र उर्फ बिरजु पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
19. सुनील पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
20. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जावासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
21. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रवन्धक

(... जाट)
उप... अधिकारी
मलसीसर

22. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

वकुलाय पक्षकारान उपस्थित
वकील प्रार्थी – श्री रणजीत सिंह
वकील अप्रार्थी – श्री विनोद कुमार गिल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं 151 जा.दी.

निर्णय

निर्णय दिनांक 16.08.2022

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बाडेट पटवार हल्का टमकोर की सरहद में भूमि गत ख0न0 137 तादादी 45 बीघा 14 बिश्वा में से 24 बीघा 4 बिश्वा, ख0न0 146 तादादी 10 बीघा 2 बिश्वा व ख0न0 134 तादादी 51 बीघा 16 बिश्वा में से 25 बीघा 9 बिश्वा व ख0न0 139 तादादी 11 बीघा 14 बिश्वा व वाके ग्राम ढ़ाणी चारण में गत ख0न0 103 तादादी 14 बीघा 17 बिश्वा व गत ख0न0 146 तादादी 13 बीघा 10 बिश्वा अवस्थित है जो लिखमा की काश्त की जमीन है। उक्त ख0न0 के हाल ख0न0 550 रकबा 3.45 है0, 551 रकबा 1.09 है0, ख0न0 552 रकबा 1.78 है0, ख0न0 556 रकबा 5.94 है0, ख0न0 570 रकबा 2.55 है0, ख0न0 571 रकबा 0.21 है0, ख0न0 547/647 रकबा 0.50 है0, ख0न0 580 रकबा 0.84 है0, ख0न0 581 रकबा 0.82 है0, ख0न0 582 रकबा 0.02 है0 व ख0न0 583 रकबा 0.87 है0 तथा वाके ग्राम ढ़ाणी चारण के हाल ख0न0 149 रकबा 3.76 है0, ख0न0 229 रकबा 3.42 है0 बने। मिसल हकीयत सम्वत 1999 में ग्राम बाडेट की भूमि ख0न0 137 की खातेदारी टीकु व लिखमा पिता रूपा के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 134 की खातेदारी टिकु व लिखमा पुत्र रूपा व चैता पुत्र जैसा के नाम दर्ज है। ख0न0 146 की खातेदारी लिखमा पुत्र रूपा के नाम दर्ज है। भूमि ख0न0 139 की खातेदारी लिखमा के नाम दर्ज है। ग्राम ढ़ाणी चारण के गत ख0न0 103, 146 पहले लिखमा की खातेदारी में थी व वर्तमान में लिखमा के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम बाडेट व ग्राम ढ़ाणी चारण में आवेदकगण व अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 19 की पैत्रिक काश्त की जमीन है इस कुल जमीन में 1/3 हक व हिस्से की जमीन को गीदाराम उर्फ गिरधारी के वारिसान अनावेदकगण 1 लगायत 16 काबिज काश्त है व जमीन जैर बहस के 1/3 हिस्से की जमीन में अमराराम के वारिसान आवेदकगण 4 लगायत 8 व अनावेदकगण 17 लगायत 19 काबिज है व काश्त करते है। व 1/3 हिस्से की जमीन पर हुक्माराम के वारीसान आवेदकगण 1 लगायत 3 काबिज काश्त है। जमीन जैर बहस का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है फरीकेन अपने–अपने हिस्से की जमीन पर काश्त करते है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जमीन जैर बहस हाल ख0न0 550 रकबा 3.45 है0, ख0न0 551 रकबा 1.09 है0, ख0न0 552 रकबा 1.78 है0, ख0न0 556 रकबा 5.94 है0, ख0न0 570 रकबा 2.55 है0, ख0न0 571 रकबा 0.21 है0, ख0न0 547/647 रकबा 0.50 है0 ख0न0 580 रकबा 0.84 है0, ख0न0 581 रकबा 0.82 है0, ख0न0 582 रकबा 0.02 है0, ख0न0 583 रकबा 0.87 है0 एवं वाके ग्राम ढ़ाणी स्थित भूमि ख0न0 149 रकबा 3.76 है0, ख0न0 229 रकबा 3.42 है0 में अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जाकर आवेदकगण को उनके हक व हिस्से की जमीन पर काश्त करने से ना तो रोके व ना किसी से रूकवाये व जमीन जैर बहस के रिकार्ड व मौके की स्थिति को ता फैसला यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो,

(संदीप जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 9 लगायत 16 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम बाडेट में स्थित भूमि गत ख0न0 137/2, 134/2 व 146 तथा ग्राम ढ़ाणी चारण स्थिज्ञत भूमि गत ख0न0 103 व 146 लिखमा की खातेदारी की भूमि थी जो आवेदकगण द्वारा स्वीकृत तथ्या है जिसमें 1/3 हिस्सा गीदाराम के वारीसान का सामुहिक रूप से, 1/3 हिस्सा अमराराम के वारीसान का सामुहिक रूप से तथा 1/3 हिस्सा हुक्मा के वारीसान का सामुहिक रूप से है। गत ख0न0 139 रकबा 11 बीधा 14 बिश्वा भूमि से अमरा व हुक्मा के वारीसान का हिस्सा नहीं है उक्त भूमि गीदा के वारीसान की है उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में कभी भी लिखमा के नाम नहीं रही। गीदा की खातेदारी की भूमि रही है उक्त भूमि गीदा के वारिसान की अलग से है शेष भूमि में गीदा, अमरा व हुक्मा के वारीसान का 1/3–1/3 हिस्सा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 8 बाद तामिल अनुपस्थित रहे इनकी ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी पक्षकार अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 8 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ख0न0 139 तादादी 11 बीधा 14 बिश्वा के अलावा सभी में 1/3 हिस्सा स्वीकार कर रहे है। जबकि अप्रार्थी का यह कहना है कि ख0न0 139 की जमीन गीदा के अकेले आनी है। सम्वत 2009 में लिखमा वल्द रूपा के नाम ख0न0 139 तादादी 11 बीधा 14 बिश्वा के नाम काश्त दर्ज है सरपंच ने बिना कानून के गीदा पुत्र लिखमा के दर्ज कर दी जो गलत है। तत्समय लिखमा के तीनों पुत्रों के नाम होनी थी और इस प्रकार लिखमा की सम्पूर्ण भूमियों का ही 1/3 हिस्सा होना चाहिये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 9 लगायत 15 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मिसल हकीयत 1999 में गुमाना वल्द लुणा कौम मीणा के नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सम्वत 2012 में प्रभाव में आने पर भूमि ख0न0 139 तादादी 11 बीधा 14 बिश्वा खातेदार गुमाना वल्द लूमा के नीचे शिकमी गीधा पुत्र लिखमा कौम जाट Record of Right में दर्ज है। इसके पश्चात समस्त रिकार्ड में गीधा पुत्र लिखमा के नाम दर्ज रहा है। लिखमा की शेष भूमि पर 1/3 हिस्सा उसके वारिसों के नाम स्वीकार है। इस प्रकार ख0न0 139 तादादी 11 बीधा 14 बिश्वा की भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है। परन्तु विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण को ख0न0 139 तादादी 11 बीधा 14 बिश्वा भूमि लिखमा की भूमि नहीं होने से उक्त भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर निषेधाज्ञा जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो के पक्ष में है तथा उक्त संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी को असुविधा व अपूरणीय क्षति होना दर्शित होता है। क्योंकि ख0न0 139 के राजस्व रिकार्ड में कहीं भी लिखमा की भूमि नहीं

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

ने का कथन किया गया है। चूंकि अप्रार्थी की ओर से ख0न0 139 को छोड़कर शेष भूमि पर
ेधाज्ञा जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। समस्त तथ्यों के विवेचन के पश्चात न्यायालय
की राय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सीपीसी आंशिक रूप
से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण ग्राम
बाडेट के गत ख0न0 139 तादादी 11 बीघा 14 बिश्वा भूमि को छोड़कर शेष भूमि एवं ग्राम ढ़ाणी
चारण की वादग्रस्त भूमि की रिकार्ड व मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे, रिकार्ड व मौके
की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम होकर मूल वाद के
साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

16/8/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर